न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
36 / 2021	26.02.2021	10.04.2023

/ / उनवान / /

1 मुकेश पुत्र प्रहलाद पौत्र श्योसहाय जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
2 गोकलराम पुत्र कालिया जाति कुम्हार निवसी सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

:– वादीगण

बनाम

1 अमरसिंह पुत्र फूसा जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

2 भगवानसहाय

3 उदमीराम

4 आंगनराम पुत्रान प्रभू

5 जगराम पुत्र प्रभू जातियान समस्त कुम्हार निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

6 प्रेम पुत्री प्रभू पत्नि गोपीराम जाति कुम्हार निवासी जटयाना तह0 कोटकासिम जिला अलवर।

7 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर।

8 उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर।

:– असल प्रतिवादीगण

9 सत्यवीर पुत्र प्रहलाद
10 बोदनी पत्नि स्व0 श्री प्रहलाद जातियान जाट निवासीयान सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
11 कमला पुत्री प्रहलाद पत्नि नन्दराम जाति जाट निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर।
12 बाला पुत्री प्रहलाद पत्नि बनवारी जाति जाट निवासी हाल ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
13 भूतेरी पुत्री प्रहलाद पत्नि बलबीर जाति जाट निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
14 सुमन पुत्री प्रहलाद पत्नि किशोर जाति जाट निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
15 बसन्ती पुत्री कालिया जाति कुम्हार निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर।
16 भगवानी पुत्री कालिया जाति कुम्हार निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर।
17 सन्तराम पुत्र नारायणी नवीरा कालिया कुम्हार निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर।
18 अमरसिंह पुत्र नारायणी नवीरा कालिया जाति कुम्हार निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
19 बिमला पुत्री नारायणी नवीरा कालिया जाति कुम्हार निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर।
20 अंगूरी पुत्री नारायणी नवीरा कालिया जाति कुम्हार निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर।
21 कोयली पुत्री नारायणी नवीरा कालिया जाति कुम्हार निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
22 विधादेवी पत्नि छेलू
23 ओमप्रकाश पुत्र छेलू
24 सुभाष पुत्र छेलू
25 सुरेन्द्र पुत्र छेलू जातियान कुम्हार निवासीयान सोडावास तह0 मुण्डावर।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

:- तर0 प्रतिवादीगण
दावा – इस्तकरारहक दूरूस्ती इन्द्राज
बम्य हु0ई0 दवानी अन्तर्गत धारा
88, 89 व 188 राज0 काश्त0 अधि0 सन् 1955।

उपस्थितिः– श्री मदनलाल सांवरिया – वकील वादीगण

निर्णय दिनांक– 10.04.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 815/0.28, 816/0.14, 817/0.46, 820/0.18, 821/0.09, 823/0.08, 824/0.10, 827/0.10, 828/0.33, 829/0.08, 830/0.04, 833/0.10, 834/0.15, 835/0.15, 848/0.13, 849/0.20, 850/0.20, 855/0.06, 856/0.10 है0 कुल किता 19 कुल रकबा 2.98 है0 वाके ग्राम सोडावास तह0 मुण्डावर में स्थित होकर साबिक ख0नं0 293/12 बीघा से सैटलमेंट के दौरान वाके ग्राम सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर पैमूद किये गये है जो विवादित आराजी कहलायेगी। यह है कि साबिक ख0नं0 293 रकबा 12 बीघा में मिन वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 का दादा श्योसहाय की एक बैल की खातेदार कब्जेकाश्त की आराजी रही है, जिसमें मिन वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 के पिता प्रहलाद 1/2 भाग दर 1 बैल का खातेदार कब्जेकाश्त आराजी है, असल प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह का पिता फूसा की 1 बैल की खातेदार काश्तकार की आराजी रही है। मिन वादी का सजरा खानदान पेश है। साबिक ख0नं0 293 रकबा 12 बीघा में मिनवादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 का पिता/नाना कालिया का 1/2 भाग दर 1 बैल की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी है जिसपर पिता/नाना काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे उनके फौत होने पर अब वादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 विवादित आराजी पर अपने हिस्सेनुसार काबिज एवं दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं सजरा खानदान पेश है। जमाबंदी सम्वत् 2013 ल0 2017 के खतौनी सं0 34 में श्योसहाय, फूसा पुत्रान रूडा जाति जाट संभाग 2 बैल व कालिया, प्रभु पुत्रान श्योजी जाति कुम्हार संभाग 1 बैल का इन्द्राज हो रहा है तथा इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2021 ल0 2023 के खाता सं0 63 व खाता सं0 66 में कालिया प्रभु पि0 श्योजी जाति कुम्हार संभाग 1 बैल व खाता सं0 66 में बोदन प्रहलाद जाति जाट पि0 श्योसहाय 1 हिस्सा व अमरसिंह पुत्र फूसा जाति जाट 1 हिस्सा दर्ज है इस प्रकार मिन वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 व मिन वादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 के बुर्जगान काबिज होकर काश्त करते रहे हैं तथा उनके फौत होने पर अब मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। सम्वत् 2029 में सैटलमेंट के दौरान ख0नं0 293 रकबा 12 बीघा से उपरोक्त हाल ख0 नम्बरान पैमूद करते समय अमरसिंह पुत्र फूसा 8/234 भाग दर्ज कर दिया तथा मिन वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादीगण सं0 9 ल0 14 के पिता प्रहलाद के नाम का अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हजफ कर दिया जबकि राजस्व कर्मचारियों को पूर्व एन्ट्री को ही रिपीट करना चाहिए था तथा अमरसिंह पुत्र फूसा 16/234 भाग व प्रहलाद बोदन पुत्रान श्योसहाय संभाग 16/234 भाग दर्ज करना चाहिए था। जो गलत अंकन सम्वत् 2029 से ताहाल चला आ रहा है। जिसे मिन वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 दूरूस्त कराकर अपने नाम 1/2 भाग दर 16/234 संभाग में दर्ज कराने के अधिकारी है तथा सम्वत् 2029 में सैटलमेंट के दौरान उक्त साबिक ख0नं0 293 रकबा 12 बीघा से उपरोक्त हाल ख0 नम्बरान पैमूद करते समय प्रभु पुत्र श्योजी कुम्हार 16/234 भाग दर्ज कर दिया तथा मिन वादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 के पिता/नाना कालिया पुत्र श्योजी के नाम का अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हजफ कर दिया जबकि राजस्व कर्मचारियों को पूर्व एन्ट्री को रिपीट करना चाहिए था तथा कालिया, प्रभु पुत्रान श्योजी संभाग 16/234 भाग दर्ज करना चाहिए था। जो गलत अंकन सम्वत् 2029 से ताहाल चला आ रहा है जिसे

सहायक कलक्टर

मिनवादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 दूरूस्त कराकर अपने नाम 1/2 भाग दर 16/234 भाग दर्ज कराकर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त कराने के अधिकारी है इसलिए उक्त इश्तकरारहक मय दूरूस्ती वाद पेश करना लाजिमी आया है आदि–आदि अंकित करते हुए मिनवादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 के बुजुर्गान व मिन वादी सं0 2 तथा तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 के बुजुर्गान के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जो जरिये विरासत प्राप्त हुई है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलती से मिनवादीगण के बुजुर्गान के नाम का अंकन को हजफ कर दिया तथा अब असल प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हो रहे है तथा आराजी पैत्रिक होने के कारण सुविधा व संतुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिन वादीगण के पक्ष में आयद वो साबित है, यदि वाकई प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 गलत इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी का बेचान कर दिया तथा मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण को आराजी से बेदखल कर दिया तो मिन वादीगण को अपनी पैत्रिक आराजी से महरूम होना पड़ेगा जिससे नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा दावा करना ही बेयमायना हो जावेगा, चूंकि मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के हक व अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण अपने हकों के रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है। आदि–आदि अंकित करते हुए वाद वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर से पारित की जावे कि विवादित आराजी में मिन वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 को संभाग में 1/2 भाग दर 16/234 भाग का एवं मिन वादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 को संभाग में 1/2 भाग दर 16/234 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में नाम का अंकन दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 का नाम मिन वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 के हक व हिस्से तक एवं प्रतिवादी सं0 2 ल0 6 का नाम मिन वादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 के हक व हिस्से तक हजफ फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण असल को डिक्री हु0ई0 से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजीयात को कही रहन, बय, हिबे इत्यादि से मुन्तकिल ना करे ना ही मिन वादीगण को आराजी से बेदखल करे, ना ही मिन वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार मजाहमत ही पैदा करे। रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 1 ल0 25 के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2013–2017 किता–3 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021–2024 किता–4 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 किता–2 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 किता–2 प्रदर्श–5 पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य स्परूप शपथपत्र मुकेश पीडब्ल्यू–1, हवासिंह पीडब्ल्यू–2 एवं नरेश कुमार पीडब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अंकित किया कि विवादित आराजीयात साबिक ख0नं0 293 से पैमूद किये गये है तथा साबिक ख0नं0 293 में वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 का दादा श्योसहाय 1 बैल का खातेदार कब्जेकाश्त की आराजी रही है जिसमें वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी 9 ल0 14 के पिता प्रहलाद 1/2 भाग दर 1 बैल का खातेदार कब्जेकाश्त आराजी है असल प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह का पिता फूसा 1 बैल का खातेदार काश्तकार रहा है तथा मिन वादी सं0 2 एवं तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 के पिता/नाना कालिया का 1/2 भाग दर 1 बैल की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा इसी प्रकार आराजी पर अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज एवं दखिल होकर काश्त करते आ रहे हैं जो जमाबंदी सम्वत् 2013 ल0 17 के खतौनी सं0 34 में श्योसहाय, फूसा पुत्रान रूडा जाति जाट संभाग 2 बैल व कालिया, प्रभु पुत्रान श्योजी जाति कुम्हार संभाग 1 बैल का इन्द्राज हो रहा है जो इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2021 ल0 2023 के खाता सं0 63 व खाता सं0 66 में कालिया, प्रभु पि0 श्योजी जाति कुम्हार संभाग 1 बैल

सहायक कलक्टर
मूण्डा... (...वर) राज0

व खाता सं0 66 में बोदन, प्रहलाद पि0 श्योसहाय जाति जाट 1 हिस्सा व अमरसिंह पुत्र फूसा जाति जाट 1 हिस्सा दर्ज है। इस बाबत वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 ल0 5 दस्तावेजात यथा मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदीयात प्रस्तुत की जाकर शामिल पत्रावली है एवं प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 जामबंदीयात सम्वत् 2013 ल0 2017 तथा सम्वत् 2021 ल0 2024 के माध्यम से वादी ने अपने वाद को पूर्ण रूप से साबित कर दिया है तथा वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 तथा वादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 के बुजुर्गान काबिज होकर काश्त करते रहे हैं तथा उनकी फौतगी पर वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण अब काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा सम्वत् 2029 में सैटलमेंट के दौरान साबिक ख0नं0 293 से उपरोक्त विवादित हाल खसरा नम्बरान पैमूद करते समय अमरसिंह पुत्र फूसा का 8/234 भाग दर्ज कर दिया तथा वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 के पिता प्रहलाद के नाम का अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हजफ कर दिया जबकि राजस्व कर्मचारियों को पूर्व की एन्ट्री को ही रिपीट करना चाहिए था। अमरसिंह पुत्र फूसा का 16/234 भाग व प्रहलाद, बोदन पुत्रान श्योसहाय का संभाग में 16/234 भाग दर्ज करना चाहिए था इस प्रकार वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 को संभाग में विवादित आराजीयात का 16/234 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह को 16/234 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 की हद तक प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के हिस्से आराजी में से हजफ फरमाया जावे एवं ठीक इसी प्रकार सैटलमेंट के दौरान हाल ख0 नम्बरान पैमूद करते समय प्रभु पुत्र श्योजी कुम्हार 16/234 भाग दर्ज कर दिया तथा वादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 के पिता/नाना कालिया पुत्र श्योजी के नाम का अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हजफ कर दिया जबकि राजस्व कर्मचारियों को पूर्व की एन्ट्री को ही रिपीट करना चाहिए था तथा कालिया, प्रभु पुत्रान श्योजी कुम्हार का संभाग में 16/234 भाग दर्ज करना चाहिए था इस प्रकार से प्रतिवादी सं0 2 ल0 6 को संभाग में 1/2 भाग दर 16/234 भाग का तथा वादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 को संभाग में 1/2 भाग दर 16/234 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं वादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 की हद तक प्रतिवादी सं0 2 ल0 6 का नाम हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाये जाने का अंकन रहा।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीगण के हाल आराजी ख0नं0 815/0.28, 816/0.14, 817/0.46, 820/0.18, 821/0.09, 823/0.08, 824/0.10, 827/0.10, 828/0.33, 829/0.08, 830/0.04, 833/0.10, 834/0.15, 835/0.15, 848/0.13, 849/0.20, 850/0.20, 855/0.06, 856/0.10 है0 कुल किता 19 कुल रकबा 2.98 है0 वाके ग्राम सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात में वादी सं0 1 एवं तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 को संभाग में 1/2 भाग दर 16/234 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम हो रहे अंकन में से वादी सं0 1 व तर0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 की हद तक हिस्सा हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं इसी अनुसार उक्त विवादित आराजीयात में वादी सं0 2 एवं तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 को संभाग में 1/2 भाग दर 16/234 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 2 ल0 6 के नाम हो रहे अंकन में से वादी सं0 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 15 ल0 25 की हद तक हिस्सा हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं असल प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी को कही रहन, बैय, हिबा आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे ना ही

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

वादीगण को हिस्से आराजी से बेदखल करे एवं ना ही वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से मजाहमत ही पैदा करे, रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। जावे।तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **10.04.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

10-04-2023

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलक्टर(फा०ट्रे०)
मुण्डावर अलवर, राज०